


23/10/24

पत्रावली तलवी पर पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना  
 पत्र साबत मिलल तलवी पेश का निर्वेदन किया  
 कि वादी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा है जाने  
 से आगे कार्यवाही नहीं चालते हैं। प्रार्थना पत्र  
 स्वीकार किया जाता है। वादिया अंदाजी की  
 पहचान उपरिखत अधिवक्ता की लक्ष्मी देवी वाद  
 ने तथा प्रतिवादिया की पहचान श्री की  
 उपरिखत वकील प्रतिवादी आदिपद इच्छल ने  
 की। पूर्व में आदेशिका दि. 20/2/20 को समस्त  
 प्रकृति का वाद सं. 39/2020 संलग्न है। अतः  
 प्रस्तुत वाद एवं संलग्न वाद वकील वादी  
 के प्रार्थना पत्र एवं वादिया व प्रतिवादिया  
 की सहमति अनुसार प्रकरण ट्रॉप विरक जाते  
 हैं। पत्रावली सं. 39/2020 में प्रमाणित प्रसि  
 संलग्न की जावे। पत्रावली के मल सुमा देव  
 नेवा के पत्र है।

राजीनामा  
 कार्यवाही  
 पत्रावली 39

(12)  श्री

 श्री  
 उकारिका पत्रावली

श्रीकी पत्रावली  


सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

